

11.3.26 पत्रावली पत्र कुं
पत्रावली वकील 34.1
पत्रावली वास्ते पास हेतु आदि 22.4.26
को पत्र बा

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

22.4.26

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते 13.5.2026 को पेश हो।
दिनांक 13.5.2026 को पेश हो।

13.5-2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 21 के वकील अनुपस्थित।

विप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का असवर समाप्त किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्ते आवेदन पुनः बरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन संख्या 55/2021 अनवान गुमानसिंह बनाम मंगला वगैरा के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 30.07.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता बाडमेर स्थित न्यायालयों में व्यस्त रहने से उस दिन इस अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना प्रार्थीगण को भी नहीं दे सके, इसलिए उस रोज प्रार्थीगण भी उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 30.07.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।, इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 30.07.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी. पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो एवं नम्बर से कम हो।

परामर्शक कलक्टर
3000 गिणवती